उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 37/2020/1013/छप्पन-2020-23/2017
लखनऊ, दिनांक: 19 जून, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

(शुद्धि-पत्र)

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 की परिचालन इकाई में पायलट (फिक्स्ड विंग) के पद पर संविदा के आधार पर श्री गुरिन्दर पाल सिंह को रू0 07.00/-लाख (रू0 सात लाख मात्र) के नियत मासिक पारिश्रमिक, अनुमन्य उड़ान भत्ते एवं नियमानुसार अनुमन्य वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति प्रदान किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या: 05/2020/2496/छप्पन-2019-23/2017 दिनांक 28 जनवरी, 2020 जारी किया गया है।

2- उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन विभाग (परिचालन इकाई) भर्ती नियमावली, 2011 से सम्बन्धित पदों पर भर्ती हेतु 50 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण किया गया है। यथास्थिति उच्चतर अर्हता/अनुभव वाले अभ्यर्थियों के लिए 05 वर्ष तक ऊपर की आयु सीमा शिथिल किये जाने की व्यवस्था प्राविधानित है।

3- **श्री गुरिन्दर पाल सिंह के पायलट (फिक्स्ड विंग) के पद पर नियुक्ति से सम्बन्धित उक्त शासनादेश दिनांक 28 जनवरी, 2020 के प्रथम प्रस्तर की छठी पंक्ति में टंकण त्रुटि के कारण अधिकतम आयु सीमा (50 वर्ष) में 02 वर्ष की शिथिलता प्रदान करना अंकित हो गया है, के स्थान पर 02 वर्ष से अधिक की शिथिलता प्रदान करना पढ़ा जाए।**

4- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 28 जनवरी, 2020 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाए। शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

सुरेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

श्री गुरिन्दर पाल सिंह,
फ्लैट नं0 ए-10/2, वेलकम ग्रुप सी.जी.एच.एस.लि.,
प्लाट-6 सेक्टर-3 द्वारका,
नई दिल्ली—110075

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0सं0-37/2020/1013(1)/छप्पन-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ ।
2. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
3. कोषधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
6. गार्ड फाइल

आज्ञा से,
डा0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।